

राजस्थान-सरकार  
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)  
 क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/785 दिनांक:- 02/07/2018  
 :: आदेश :: फ.लं 718/2018

प्रार्थी को "राजा कुरस्ते" ग्रंथना पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेवाज 2018/पटवारी मंडल, खेवाज/जाजकपुर तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जनाबंदी संयत् में खाता संख्या 157 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.सं० | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)       | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|-------|-------------|--|---|
| 1       | 2     | 3           | 4  | 5   |
| 1       | खेवाज | 157         | खेवाज झ. कचरा<br>42 बीघा जमाबन्दी<br>बदलान | खेवाज झ. कचरा<br>42 बीघा जमाबन्दी<br>बदलान                    |

क्रमांक-सम/785  
 प्रतिलिपि-सूचनाएं एवं फलमार्थ -

- 1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जा कर नूतन रिपोर्ट भिजाएं।
- 2- प्रार्थी श्री खेवाज झ. कचरा
- 3- पटवारी हल्का खेवाज

उपखण्ड अधिकारी  
 डूंगरपुर  
 दिनांक:- 02/07/2018

उपखण्ड अधिकारी  
 डूंगरपुर